न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 46 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. वकतुबाई पत्नि मांगीलाल 2. नत्थाराम उर्फ नत्थुराम पुत्र मांगीलाल 3. अमराराम पुत्र मांगीलाल 4. पानी देवी पुत्री मांगीलाल 5. हीरकी पुत्री मांगीलाल जातिगण सीरवी निवासीगण सीरवीयो का बास सोजत सिटी तह0 सोजत।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री मांगीलाल चौहान अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक – 26/06/2024

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 172 रकबा 0.7900 है0 आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि के पुराने ख.नं. 114 थे। उक्त भूमि वादीगण के ससुर व दादा अन्नाराम पुत्र पुरखाराम के नाम की कब्जा सुदा भूमि रही हैं। किन्तु सेवन से वादीगण के ससुर व दादा का नाम अन्नाराम पुत्र पुरखाराम जाति सीरवी के स्थान पर पन्नाराम पुत्र पुराराम दर्ज कर दिया गया। पन्नाराम पुत्र पुराराम नाम का कोई व्यक्ति बासनी तिलवाड़िया में नहीं रहता हैं। अन्नाराम फौत हो चुके हैं। जिनके विधिक वारीशान मांगीलाल है, जो फौत हो चुके हैं। मांगीलाल के विधिक वारिशान बक्तुबाई पत्नि, नत्थाराम उर्फ नत्थुराम व अमराराम पुत्र पानी पुत्री, हीरकी पुत्री हैं। लिपिकीय त्रुटि से राजस्व रेकर्ड में अन्नाराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पन्नाराम पुत्र पुराराम दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया के ख.नं. 172 रकबा 0.79 है0 में पन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर अन्नाराम पुत्र पुरखाराम दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नहीं करने से आज जवाब दावा बंद किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में खसरा गिलान की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2020–23 की प्रति, मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, बिजली बिल की प्रति, पानी बिल की प्रति पेश की, सा0गि0 हैं। प्रकरण मे वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु तहसीलदार सोजत लिखा जाकर तहरीर भेजी गई तहसीलदार सोजत द्वारा क्रमांक/राजस्व/2024/209 दिनांक 22.02.2024

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

को रिपोर्ट पेश कर पन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर अन्नाराम पुत्र पुरखाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया हैं।

अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि में सेवन से वादीगण का नाम पन्नाराम पुत्र पुराराम दर्ज हो गया, जबकि इनका वास्तविक नाम अन्नाराम पुत्र पुरखाराम हैं। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम दुरूस्त कर वादीगण की खातेदारी घोषित की जावें। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में खसरा मिलान की प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2020--23 की प्रति, मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, बिजली बिल की प्रति, पानी बिल की प्रति पेश किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में वादीगण का वास्तविक एवं सही नाम अन्नाराम पुत्र पुरखाराम होना स्पष्ट किया हैं। जिससे वादीगण के दादा/ससुर के सही व वास्तविक नाम अन्नाराम पुत्र पुरखाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सोजत को फौत अन्नाराम व मांगीलाल के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 172 रकबा 0.7900 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के दादा/ससुर का नाम पन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर अन्नाराम पुत्र पुरखाराम दुरूस्त इन्द्राज करने तथा इन्द्राज के पश्चात् फौत अन्नाराम, मांगीलाल के विधिक वारिशानों की जांच कर बाद नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 26/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(ओ0 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. वक्तुबाई पत्नि मांगीलाल 2. नत्थाराम उर्फ नत्थुराम पुत्र मांगीलाल 3. अमराराम पुत्र मांगीलाल 4. पानी देवी पुत्री मांगीलाल 5. हीरकी पुत्री मांगीलाल जातिगण सीरवी निवासीगण सीरवीयो का बास सोजत सिटी तह0 सोजत।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री मांगीलाल चौहान अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख. नं. 172 रकबा 0.7900 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के दादा/ससुर का नाम पन्नाराम पुत्र पुराराम के स्थान पर अन्नाराम पुत्र पुरखाराम दुरूस्त इन्द्राज करने तथा इन्द्राज के पश्चात् फौत अन्नाराम, मांगीलाल के विधिक वारिशानों की जांच कर बाद नामा0 दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/06/2024 को जारी की गई।

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.))

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.